SPEED POST

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. JJM/1/2016/MTUR1/SEOTH/RU-IV Dated: 07.03.2017

To,

The Director General,
Archaeological Survey of India,
Janpath,
New Delhi – 110 011

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 08.02.2017 at 03.00 P.M in the matter of Shri Jagdish Jangalù Mali, Distt. Aurangabad (Maharashtra) (S/o late Jangalu Shama Mali, Memorial Attendant, Archaeological Survey of India) regarding compassionate appointment. .

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 08.02.2017 on the above mentioned subject for necessary action. Action taken report in the matter may be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

DSKumbhare 7/3/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

1408-09
7/3/17
जारी किया
ISSUED

Copy to:-

Shri Jagdish Jangalu Mali,
Vill+Post, Kankori,
Taluka – Gangapur,
Distt.- Aurangabad – 423 702
(Maharashtra).

Received

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं. जेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटीएच/आर.यू.–IV

श्री जगदीश जंगलु माली, ग्राम व पोस्ट कनकोरी, तालुका–गंगापुर, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में परिवाद आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा के समक्ष दिनांक 08.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि 08.02.2017

बैठक में उपस्थिति अधिकारियों का विवरण – अनुलग्नक–क

1. श्री जगदीश जंगलू माली ने दिनांक 07.10.2016 को आयोग में शिकायत की, कि उनके पिता श्री जंगलू शामा माली, अजंता की गुफाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, औरंगाबाद मण्डल में स्मारक परिचर, पद पर कार्यरत थे, उनका निधन दिनांक 23.08.2007 को हो गया था। पिता की मृत्यु के उपरांत श्री जगदीश जंगलू माली की माता श्रीमती राधाबाई ने अभ्यावेदन दिनांक 21.02.2008 द्वारा अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, औरंगाबाद को अपने पुत्र श्री जगदीश जंगलू माली को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उनके उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पत्र संख्या 14–27/2009–प्रशा–II दिनांक 28.01.2015 द्वारा अवगत कराया कि शादी होने के कारण उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अभ्यावेदक ने आयोग को यह भी लिखा, कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली से लगातार पत्राचार करता रहा है।

2. आयोग ने श्री माली की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समसंख्यक नोटिस दिनांक 01.12.2016 द्वारा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली को प्रकरण में तथ्यों की सूचना और की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं. 14–27/2009–प्रशा.– II दिनांक 23.12.2016 द्वारा सूचित किया कि "अभ्यावेदक

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes

श्री जगदीश जंगलू माली के प्रकरण पर विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर, 2014 में चर्चा की गई, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 14014/2/2012-स्था.(डी) दिनांक 30.05.2013 के निर्देश के अवलोकन में अनुकम्पा आधार पर प्रकरण अस्वीकृत कर दिया गया था। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 14014/2/2012-स्था.(डी) दिनांक 05.09.2016 द्वारा जो प्रकरण केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर निरस्त कर दिए गए थे उन्हें पुनः खोलने/पुनर्विचार करने के लिए स्वीकृति दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 14014/2/2012-स्था.(डी) दिनांक 05.09.2016 को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रकरणों के साथ श्री जगदीश जंगलू माली का प्रकरण भी, जो केवल वैवाहिक स्थिति के आधार निरस्त कर दिए गए थे, विभागीय चयन समिति के समक्ष अगली बैठक में विचार हेतु रखे जाएंगे''।

3. श्री जगदीश जंगलु माली दिनांक 25.01.2017 को आयोग में उपस्थित हुए तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपनाए जा रही नकारात्मक कार्यवाही एवं अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। माननीय सदस्य ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 08.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे बैठक में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को चर्चा के लिए बुलाने का आदेश दिया।

4. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने पत्र संख्या 14-27/2009-प्रशा-II दिनांक 07.02.2017 द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट देने का अनुरोध किया। श्री ताराचंद्र, उपनिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को बैठक मे उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया (प्रतिलिपि संलग्न)।

5. आयोग ने अभ्यावेदक को अपनी स्थिति तथा शिकायत बताने का मौका दिया। अभ्यावेदक ने सूचित किया कि उनके पिता जी श्री जंगलू शामा माली का निधन वर्ष 2007 में हुआ था तथा इसके बाद मेरी माता जी ने मेरे लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए दिनांक 21.02.2008 को अभ्यावेदन दिया था। जिस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2014 में विचार किया और प्रकरण को निरस्त कर दिया। वर्तमान समय में अहमदनगर में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मजदूरी कर रहा

...shadbhai Vasava
Member
...Scheduled Tribes

हूं। माननीय सदस्य जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि से वर्ष 2008 के प्रकरण पर वर्ष 2014 में कार्यवाही करने के लिए असंतोष प्रकट किया।

6. उपनिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण को विभागीय चयन समिति की अगली बैठक जो मार्च-अप्रैल, 2017 में होने वाली है, के समक्ष रखा जाएगा।

7. आयोग ने पाया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा श्रीमती राधाबाई के अभ्यावेदन दिनांक 21.02.2008 पर कार्यवाही नहीं की गई। श्री जंगलू शामा माली की मृत्यु के समय वर्ष 2007 में, श्री जगदीश जंगलू माली की शादी नहीं हुई थी। यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008-09 में ही श्रीमती राधाबाई के अभ्यावेदन पर कार्यवाही की गई होती तो उनके पुत्र श्री जगदीश जंगलू माली को वैवाहिक स्थिति होने पर उन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में विलम्ब नहीं होता। पूरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कार्यवाही में देरी के कारण अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि उनके बाद भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं।

आयोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को सलाह दी किः-

1. श्री जगदीश जंगलु माली के मामले में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, अतः उन अधिकारियों पर कार्यवाही करे जिन्होंने श्री जगदीश जंगलू माली के मामले को लम्बित रखा है।

2. श्री जगदीश जंगलु माली को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के मामले को विभागीय चयन समिति के समक्ष रखकर, दिनांक 07 मार्च, 2017 तक आयोग को की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

****

अनुलग्नक-क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं. जेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटीएच/आर.यू.-4)

श्री जगदीश जंगलु माली, ग्राम व पोस्ट- कनकोरी, तालुका-गंगापुर, जिला- औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिनांक 08.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे हुई बैठक।

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य (अध्यक्ष)
2. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
3. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
4. श्री आर.एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

ख. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

1. श्री ताराचंद्र, उपनिदेशक

ग. याचिकाकर्ता

1. श्री जगदीश जंगलू माली

1. PS to Member
2. Director/Assistant Director/Research Officer of Regional Offices of NCST at Bhopal/Jaipur/Bhubaneswar/Raipur/Ranchi/Shillong
3. NIC, NCST (for uploading on website of NCST).